

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/ई.फा 213-21227/जोन जयपुर/2023/580

दिनांक:-24/8/23

समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडीकल कॉलेज,
समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय संघ समूह,
समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन,
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी,

विषय:- कार्मिको के सेवा विवरण में त्रुटि सुधार/संशोधन के संबंध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि चिकित्सा विभाग में नियुक्त अराजपत्रित संवर्ग के कार्मिकों की सेवा पुस्तिका में जन्म तिथि/नियुक्ति तिथि/कार्यग्रहण तिथि/नाम इत्यादि में त्रुटि सुधार संबंधित नियंत्रण अधिकारियों द्वारा अपने स्तर पर कर दिया जाता है । इस संबंध वित्त विभाग दिये गये दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुये अपने स्तर पर इस प्रकार के आदेश जारी नहीं करें ।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कार्मिको के नाम विलोपन के आदेश भी अपने स्तर पर जारी किये जा रहे है । इस कारण कार्मिक के सेवानिवृत्त होने पर पेंशन द्वारा सक्षम प्राधिकारी/नियुक्ति अधिकारी से जारी होने के अभाव में कार्मिको के पेंशन प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब होता है एवं इस संबंध में संबंधित समक्ष अधिकारी द्वारा आदेश भिजवाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये जाते है । अतः भविष्य में इसकी पालना सुनिश्चित की जावे । अन्यथा प्रकरण में पडने वाले विपरीत प्रभाव के लिये आप स्वयं जिम्मेवार होंगे ।

(सुरेश नवल)

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/ई.फा 213-21227/जोन जयपुर/2023/580

दिनांक:-24/8/23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर ।
2. समस्त अधीक्षक संलग्न चिकित्सालय संघ समूह ।
3. समस्त संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन जयपुर ।
4. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ।
5. समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी ।

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान जयपुर